रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

CENTRAL 3 DEC 1982

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 446] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 1, 1982/आश्विन 9, 1904
No. 446] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 1, 1982/ASHVINA 9, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

नौवहन और परिवहन मंत्रालय
(परिवहन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली 1 सितम्बर, 1982

का० आ० 706(अ):—केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम 1939 (1939 का 4) की धारा 69ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कतिपय नियम बनाना चाहती है। जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 133 की उपधारा (1) में अपेक्षित है, प्रस्तावित नियमों का निम्नलिखित प्रारूप उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जा रहा है, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है। इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के पश्चात् विचार किया जाएगा।

ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि से पूर्व नियमों के उक्त प्रारूप की बाबत जो भी आक्षेप या सुझाव किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे, सचिव नौवहन और परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, उन पर 12-11 1982 को 3 बजे अपराह्न में विचार करेंगे।

1. संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ:—(1) इन नियमो का संक्षिप्त नाम परिवहन यान और टायर की समस्त विमाएं नियम, 1982 है।

(2) ये राजपत्र मे अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं:—इन नियमों में जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ के विरुद्ध न हो—

(i) "अधिनियम" से मोटरयान अधिनियम, 1939 (1939 का 4) अभिप्रेत है।

(ii) उन शब्दों और पदों के, जिनका इन नियमों में प्रयोग किया गया है किन्तु जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया है, वही अर्थ होंगे जो उनके उस अधिनियम में है।

3. मोटर यानों की समस्त चौड़ाई:—(1) प्रत्येक मोटर यान की समस्त चौड़ाई जो अंतिम छोरों को मिलाने वाले लंब समतलों के बीच मोटर यान के धुरी के बायें कोणों पर मापी गई हो निम्नलिखित से अधिक नहीं होगी—

(i) किसी मोटर यान की दशा में, जिसमें निजी सेवा यान या परिवहन यान सम्मिलित नहीं है किन्तु मोटर कैब है, 2.2 मीटर;

(ii) मोटर कैब से भिन्न निजी सेवा यान या परिवहन यान की दशा में 2.5 मीटर;

परन्तु यह कि माल या यात्री ले जाने वाले ट्रालियों के अनुकर्षण के लिए उपयोग में न लाए गए ट्रैक्टर की दशा में समस्त चौड़ाई का विस्तार 2.7 मीटर तक हो सकता है। परन्तु यह और कि यदि किसी राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि इस उपनियम में विनिर्दिष्ट चौड़ाई से अधिक चौड़ाई वाला कोई विशिष्ट यान या यानों का वर्ग किसी सार्व-

जनिक प्रयोजन के कार्य को करने के लिए उपयुक्त है तो वह राजपत्र में अधिसूचना दे कर किसी ऐसे यान या यानों के वर्ग को या तो साधारणतया या ऐसे किसी क्षेत्र या क्षेत्रों में ऐसे मार्ग या मार्गों पर इन नियमों के उपबंधों से ऐसी शर्तों के यदि कोई हों जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, अधीन रहते हुए छूट दे सकेगी।

स्पष्टीकरण इस नियम के प्रयोजनार्थ चालक दर्पण या दिशा सूचक पर, जब वह कार्यरत हो, मोटर यान की समस्त चौड़ाई मापने के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

(2) उपनियम (i) में किसी बात के होते हुए भी--

(क) राज्य परिवहन प्राधिकरण का अध्यक्ष परिवहन यान से भिन्न किसी ऐसे मोटर यान को, जिसमें मोटर कैब सम्मिलित और जिसकी समस्त चौड़ाई 2 5 मीटर तक हो उपयोग प्राधिकृत कर सकेगा।

(ख) यथास्थिति प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण या राज्य परिवहन प्राधिकरण या उस प्राधिकरण का अध्यक्ष, यदि उसे इस निमित्त उस प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किया जाता है तो, ऐसे परिवहन यान का, जिसकी समस्त चौड़ाई 2 5 मीटर हो का किन्तु 2 7 मीटर से अधिक न हो, राज्य के भीतर किसी विनिर्दिष्ट मार्ग या मार्गों पर या विनिर्दिष्ट क्षेत्र या क्षेत्रों में, उपयोग प्राधिकृत कर सकेगा।

(ग) जहां परिवहन प्राधिकरण इस उपनियम के अधीन कार्रवाई करता है वहां वह यान के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में उस मार्ग या मार्गों की जिन पर या उस क्षेत्र या क्षेत्रों की जिनमें, यान का उपयोग किया जा सकता है, विशिष्टियां दर्ज करेगा।

4. मोटर यान की समस्त लम्बाई---(1) ट्रेलर को छोड़कर प्रत्येक मोटर यान की लम्बाई निम्नलिखित से अधिक नहीं होगी--,

(i) परिवहन यान या निजी सेवा यान से भिन्न किसी मोटर यान की दशा में जिसमें 2 एक्सल से अधिक न हों, 9 5 मीटर,

(ii) परिवहन यान या निजी सेवा यान की दशा में जिसमें दो या दो से अधिक एक्सल हों, 10 मीटर,

(iii) किसी संधित यान की दशा में जिसमें दो से अधिक एक्सल हैं, 16 मीटर

परन्तु यह कि ऐसे क्षेत्रों में या ऐसे मार्गों पर जो राज्य सरकार इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, मंजिली गाड़ी या ठेका गाड़ी की समस्त लम्बाई 2 5 मीटर से अधिक हो सकती है किन्तु 11 मीटर से अधिक नहीं होगी।

परन्तु यह और कि यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि इस उपनियम में विनिर्दिष्ट लम्बाई से अधिक लम्बाई वाला कोई यान या किन्हीं यानों का वर्ग, किसी सार्वजनिक प्रयोजन के कार्य को करने के लिए उपयुक्त है तो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसे यान या यानों के वर्ग को, साधारणतया या ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों में या ऐसे मार्ग या मार्गों पर ऐसी शर्तों के, यदि कोई हो, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, अधीन रहते हुए इस उप-नियम के उपबंधों से छूट दे सकेगी,

परन्तु यह भी कि प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण या राज्य परिवहन प्राधिकरण या उसका अध्यक्ष यदि उसे, यथास्थिति, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण या राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त, प्राधिकृत किया जाता है तो, राज्य के भीतर विनिर्दिष्ट रूट या रूटों पर या विनिर्दिष्ट क्षेत्र में संधित यानों से भिन्न परिवहन यान का जिसकी समस्त लंबाई 9.5 मीटर से अधिक किन्तु 16 मीटर से अधिक न हो, उपयोग प्राधिकृत कर सकेगा। जहां कोई परिवहन प्राधिकरण इसके अनुसार कार्य करता है वहां वह यान के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में उस मार्ग या उन मार्गों का जिन पर या उस क्षेत्र को जिसमें यान का उपयोग किया जा सकता है, दर्ज करेगा।

(2) किसी ऐसे संधित यान या ट्रैक्टर ट्रेलर कम्बिनेशन की दशा में जिसका विशेष रूप से निर्माण और उपयोग प्राकृतिक लंबाई के एकल भागों के प्रवहण के लिए किया जाता है--

(i) यदि यान के सभी पहियों में वातीय टायर नहीं लगे हुए हैं,

(ii) यदि यान के सभी पहियों में वातीय टायर नहीं लगे हुए है उस समय जब तक कि यान प्रति घंटे पच्चीस किलो-मीटर की गति से नहीं चलाया जाता है तो समस्त लंबाई 18 मीटर तक की हो सकेगी।

स्पष्टीकरण: इस नियम में "समस्त लम्बाई" से यान के अंतिम बाहरी भाग से गुजरने वाले समान्तर समतलों के बीच मापी गई यान की लम्बाई, अभिप्रेत है जिसमें निम्नलिखित नहीं है --

(i) कोई स्टार्ट करने वाला हैंडिल,

(ii) कोई हुक जब वह गिरी हुई हो;

(iii) यान में लगाई गई टर्न टेबल फायर एस्केप की भाग रूप कोई सीढ़ी;

(iv) कोई डाकघर पत्र बाक्स जिसकी लम्बाई यान की धुरी के समान्तर मापी जाने पर 30 5 सेन्टीमीटर से अधिक नहीं है;

(v) यान की छत से लादने या उतारने के लिए उपयोग की गई कोई सीढ़ी या कोई पृष्ठ या सूचक लैम्प या यान के साथ लगाई गई नम्बर प्लेट-

(vi) कोई अतिरिक्त सीट या अतिरिक्त पहिया ब्रेकेट जो यान में लगाया गया हो,

(vii) कोई अनुकर्षण हुक या कोई अन्य फिटमेंट जो इस उपनियम के खंड (iii) से (vi) के अंतर्गत आने वाले किसी फिटमेंट के बाहर न हो।

5. मोटर यानों की समस्त ऊंचाई डबल डेक वाले मोटर यान से भिन्न मोटर यान की समस्त ऊंचाई, उस सतह से मापी जाने पर जिस पर वह खड़ी हो, 3 8 मीटर से अधिक नहीं होगी।

(2) डबल-डेक वाले मोटर यान की समस्त ऊंचाई 7 75 मीटर से अधिक नहीं होगी।

(3) यह नियम फायर एस्केपों, नगर वैगनों तथा अन्य विशेष प्रयोजन यानों को जिन्हें रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के साधारण या विशेष आदेश द्वारा छूट प्राप्त है, लागू नहीं होगा।

6. मोटर यानों का प्रलंबन (1) ट्रैक्टर का प्रलंबन 1.95 मीटर से अधिक नहीं होगा।

(2) ट्रैक्टर से भिन्न मोटर यान का प्रलंबन, मोटर यान की धुरी के, जो सामने वाले पहिए या पहियों के मध्य भाग या मध्य भागों के बीच से होकर और उस ऊर्ध्वाधर समतल जिससे कि प्रलंबन को मापा जाता है, गुजरती है, समतल तल के बीच की दूरी के, जैसा कि उपनियम (3) में परिभाषित है, साठ प्रतिशत से अधिक नहीं होगा;

परन्तु यह कि राज्य सरकार, किसी मोटर यान या मोटर यानों के वर्ग को ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों में या ऐसे मार्ग या मार्गों, पर और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, यदि कोई हों, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं इस उपनियम के उपबंधों से छूट दे सकेगी यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि इस उपनियम में या विनिर्दिष्ट प्रलंबन से अधिक प्रलंबन वाले मोटर यान या मोटर यानों के वर्ग का उपयोग, सार्वजनिक स्थान में जन सुरक्षा के लिए, बिना किसी खतरों के किया जा सकता है।

स्पष्टीकरण—इस नियम के प्रयोजनार्थ "प्रलंबन" से दाएं कोणों पर दो ऊर्ध्वाधरों के बीच यान की रेखांश धुरी के क्षैतिज और समान्तर रूप से परिभाषा के क्रमश पैरा I और II में विनिर्दिष्ट बिन्दुओं के बीच से गुजरने वाली ऐसी धुरी के बीच मापी गई दूरी अभिप्रेत है।

I यान के सबसे पिछले भाग में निम्नलिखित नहीं होगा—

(i) गिरी हुई हो में कोई हुक, जो,

(ii) कोई डाकघर पत्र बाक्स, जिसकी लम्बाई यान की रेखांश धुरी के समान्तर मापी जाने पर तीस सेंटीमीटर से अधिक न हो—

(iii) यान के साथ लगायी गयी टर्न टेबुल फायर एस्केप का भाग रूप कोई सीढ़ी ;

(iv) यान की छत से लादने उतारने के लिए उपयोग की जाने वाली सीढ़ी जब यान खड़ा हो, या यान में लगाई गई पुच्छ लैम्प अथवा नम्बर प्लेट,

(v) यान के साथ फिट किया गया अतिरिक्त पहिया या अतिरिक्त पहिया ब्रैकेट,

(vi) मोटर यान के साथ फिट किया गया सामान वाहक जो यात्रियों और उनके सामानों को ढोने के लिए अनन्य रूप से निर्मित हो और चालक को छोड़कर सात से अनधिक यात्रियों के लिए अनुकूलित हो,

(vii) कोई अनुकर्षण हुक या अन्य फिटमेंट जो ऊपर खंड (ii) से (vi) में उल्लिखित किसी फिटमेंट के बाहर प्रक्षिप्त न हो

परन्तु यह कि मंजिली गाड़ी की दशा में—

(क) यान के पिछले भाग में फिट किए गए बंपर या विज्ञापन पैनल का प्रक्षेप 15 सेन्टीमीटर से अधिक नहीं होगा।

(ख) विज्ञापन पैनल की बाबत प्रक्षेपण ऐसा न होगा जिससे कि पिछले भाग को देखने वाले दर्पण से देखने में या पिछले भाग में आपात निकास से होकर निकलने में या दोनों में बाधा उत्पन्न हो।

II (1) उस मोटर यान की दशा में जिसमें केवल दो एक्सल है और जिनमें से एक स्टीयरिंग एक्सल नहीं है उस एक्सल का मध्य बिन्दु या

(ii) उस मोटर यान की दशा में जिसमें केवल तीन एक्सल है और जिसमें केवल सामने वाला एक्सल स्टीयरिंग एक्सल है वहां पिछले भाग की मध्य बिन्दु और मध्य एक्सल को जोड़ने वाली सीधी रेखा के पिछले भाग में 102 मिलीमीटर पर एक बिन्दु, या

(iii) किसी अन्य मामले में यान की रेखांशीय धुरी पर स्थित बिन्दु और इस प्रकार कि उस धुरी पर दायें कोण पर उस से खींची गई रेखा यान के न्यूनतम मुड़ने वाली वृत्त के मध्य से गुजरेगी।

(vi) 1 अप्रैल, 1940 के प्रथम दिन के पूर्व भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी मोटर यान की दशा में यह पर्याप्त होगा कि प्रलंबन यान की समस्त लम्बाई के 7/24 से अधिक नहीं है।

7. मंजिली गाड़ी का पार्श्व प्रलम्बन मंजिली गाड़ी के रूप में उपयोग किए जाने वाले यान की दशा में, दिशा सूचक से भिन्न यान का कोई भाग, जब यान चालू हालत में हो या चालक दर्पण एकल पिछले पहियों की दशा में पिछले पहियों की मध्य रेखा से 355 मिली मीटर से अधिक पार्श्व में बाहर प्रक्षिप्त नहीं होगा या द्वैत पिछले पहियों की दशा में बाहरी टायरों के अंतिम बाहरी छोर से 152 मिलीमीटर से अधिक बाहर नहीं होगा।

8 वर्तीवृत्त —प्रत्येक मोटर यान का निर्माण इस प्रकार किया जाएगा कि जिससे उसे व्यास में 24.4 मीटर से अनधिक न्यूनतम मोड़ वृत्त में किसी भी दशा में मोड़ा जा सके। इस नियम के प्रयोजनार्थ ऐसे व्यास का निर्धारण, भूमि स्तर पर पहिया ट्रैक के अंतिम बाहरी छोर के प्रति निर्देश से अवधारित किया जाएगा।

9 टायरों का आकार और उसकी प्रकृति निम्नलिखित आकार के टायर प्रत्येक आकार के टायर के सामने वर्णित अधिकतम भार वहन करने के लिए परिवहन यान में फिट किए जायेंगे जिसके साथ ही टायर के विनिर्माता द्वारा विनिर्दिष्ट प्लाई रेटिंग होगी।

टायर का आकार	विनिर्माता द्वारा विनिर्दिष्ट प्लाई रेटिंग	वहन करने के लिए अनुज्ञात अधिकतम भार
		किलोग्राम
6 00 –20	8	850
6 50 –20	8	990
7 00 –17	8	935
7 00—20	10	1195
7 50—20	10	1400
7 50—20	12	1495
8 25—20	10	1510
8 25—20	12	1690
8 25—20	14	1745
9 00—20	12	2030
9 00—20	14	2185
9 00—20	16	2255
10 00—20	14	2365
10 00—20	16	2535
10 00—24	14	2615
10 50—16	12	2030
10 50—16	16	2370
11 00—20	14	2600
11 00—20	16	2875
11 00—24	14	2840
12 00—20	14	2730
12 00—20	16	2925
12 00—20	18	3250
14 00—20	18	3960
14 00 –20	20	4110
14 00—20	22	4990

10 हल्के परिवहन यान से भिन्न किसी परिवहन यान में प्रत्येक पिछले एक्सल के प्रत्येक दोनों छोरों पर दो टायरों से कम टायर फिट नहीं किए जायेंगे।

11 प्रत्येक परिवहन यान में ऐसे टायर लगाए जायेंगे जो अच्छी हालत में है और जो मोल्ड नहीं हो गए है तथा जिनके कैन्वास टायर घिस जाने के कारण दिखने नहीं लगे है।

12 ठोस टायर (1) ठोस टायर लगे हुए किसी यान के प्रत्येक पहिए का टायर चिकना होगा और जहां टायर सड़क की सतह को स्पर्श करता है वह सतह या अन्य आधार जिस पर यान चलता है या सकता है चपटी होगी।

परन्तु यह कि टायर के छोर 12.5 मिलीमीटर से अनधिक के प्रत्येक छोर की दशा में सीमा पर गोल हो सकते हैं:

परन्तु यह और कि यदि टायर अलग अलग प्लेटों के बनाए गए है तो प्लेटे समान्तर स्थान द्वारा पृथक पृथक की जा सकेंगी जो टायरों के पूरे बाहरी भाग में व्यवस्थित होगा जिससे कि कोई भी पहिए की परिधि के क्षैतिज रूप से आर पार खींची गई रेखा के रूप में स्थान या स्थानों का कुल विस्तार टायर की चौड़ाई के एक बटा आठ से अधिक न हो।

(2) ट्रेलर में लगे पहिए की दशा में ठोस टायर की चौड़ाई 76 मिलीमीटर से और अन्य मामलों में 127 मिलीमीटर से अधिक नही होगी ।

(3) जिसे ठोस रबड़ टायर लगे यानों की दशा में मोटाई समरूप होगी और निम्नलिखित से कम नही होगी .—

टायर की चौड़ाई	न्यूनतम समरूप मोटाई
127 मिलीमीटर	22 मिलीमीटर
127 मिलीमीटर 203 मिलीमीटर	25. 4 मिलीमीटर
203 मिलीमीटर और अधिक	28. 5 मिली मीटर

बशर्ते कि रिम के साथ दो टायर फिट किए गए हों, इस नियम के लिए चौड़ाई दोनों टायरों की संयुक्त चौड़ाई होगी।

13. पहियों का आकार · ठोस टायरों वाले किसी यान में लगे किसी पहिए का व्यास 60 सैंटीमीटर से कम नही होगा ।

[फा०सं० टी डब्ल्यू/टी जी एम(26)/82]
गोविन्दजी मिश्र, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, 1st October, 1982

S.O. 706(E).—The following draft of the rules which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 69B of the Motor Vehicles Act, 1939 (4 of 1939), is hereby published as required by sub-section (1) of section 133 of the said Act, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration after the expiry of 30 days from the date on which the Gazette copy containing the said draft rules is made available to the general public.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft rules, before the period specified above, will be considered by the Secretary, Ministry of Shipping and Transport, Government of India, New Delhi on 12-11-1982 at 3.00 P.M.

Draft

1. Short Title Extent and Commencement—(1) These rules may be called Overall Dimensions of Transport Vehicles and Tyres Rules, 1982.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. Definition—In these rules, unless there is any thing repugnant in the subject or context—

(i) "Act" means the Motor Vehicles Act, 1939 (4 of 1939).

(ii) The words and expressions used, but not defined in these rules, but defined in Motor Vehicles Act, 1939, shall have the meanings assigned to them in that Act.

3. Overall width of motor vehicles.—(1) The overall width of every motor vehicle measure at right angles to the axis of the motor vehicle between perpendicular planes enclosing the extreme points shall not exceed,—

(i) in the case of any motor vehicle excluding a private service vehicle or a transport vehicle but including a motor cab, 2.4 metres;

(ii) in the case of a private service vehicle or a transport vehicle other than a motor cab, 2.5 metres.

Provided that in the case of a tractor not used for towing trailers carrying goods or passengers the ove all width may extend to 2.7 metres:

Provided further that if the State Government is satisfied that a particular vehicle or class of vehicles having overall width in excess of the width specified in this sub-rule is found suitable for carrying out any work of public purpose the State Government may, by notification in the official gazette, exempt from the provisions of this rule such a vehicle or class of vehilces either generally or in such area or areas on such route or routes and subject to such conditions, if any, as may be specified in the notification.

Explanation :—For the purpose of this rule, a driving mirror or a direction indicator, when in operation, shall not be taken into consideration in measuring the overall width of motor vehicle.

(2) Notwithstanding anything in sub-rule (1),—

(a) the Chairman, State Transport Authority may authorise the use of a motor vehicle other than a transport vehicle but including a motor cab with overwall width upto 2.5 metres;

(b) The Regional Transport Authority or the State Transport Authority, as the case may be, or the Chairman of that authority, if authorised in this behalf by that authority, may authorise the use of transport vehicles having an overall width exceeding 2.5 metres but not exceeding 2.7 metres on a specified route or routes or in a specified area within the State;

(c) Where the transport authority takes action under this sub-rule, it shall enter in the certificates of registration of the vehicle particulars of the route or routes on which or the area in which the vehicle may be used.

4. Overall length of motor vehicles :—(1) The overall length of every motor vehicle other than a trailer shall not exceed,—

(i) in the case of any motor vehicle other than a transport vehicle or a private service vehicle, having not more than 2 axles, 9.5 metres;

(ii) in the case of a transport vehicle or a private service vehicle, having two or more axles, 10 metres;

(iii) in the case of an articulated vehicle having more than two axles, 16 metres:

Provided that in such areas or on such routes as the State Government may specify in this behalf, an overalllength of stage carriage or a contract carriage may exceed 9.5 metres but shall not exceed 11 metres :

Provided further that if the State Government is satisfied that a particular vehicle or class of vehicles having overall length in excess of the length specified in this sub-rule is found suitable for carrying out any work of public pubrpose, the State Government may, by notification in the official gazette exempt from the provisions of this sub-rule such vehicle or

class of vehicles either generally or in such area or areas or on such route or routes and subject to such conditions, if any, as may be specified in the notification;

Provided also that the Regional Transport Authority or the State Transport Authority, or its Chairman, if authorised in this behalf by the Regional Transport Authority or State Transport Authority as the case may be may authorise the use of a transport vehicle other than the articulated vehicle having an overall length exceeding 9.5 metres but not exceeding 16 metres on a specified route or routes, or in a specified area within the State. Where a Transport Authority takes action accordingly it shall enter in the certificate or registration of the vehicle the route or routes on which or the area in which the vehicle may be used.

(2) In the case of an articulated vehicle or a tractor trailer combination specially constructed and used for the conveyance of Indivisible loads of exceptional length,—

(i) if all the wheels of the vehicle are not fitted with pneumatic tyres, or

(ii) if all the wheels of the vehicle are not fitted with pneumatic tyres so long as the vehicle is not driven at a speed exceeding twentyfive kilometres per hour, the overall length may extend upto 18 metres.

Explanation :—In this rule "overall length" means the length of the vehicle measured between parallel planes passing through the extreme projection points of the vehicle exclusive of—

(i) any starting handle;

(ii) any hood when down;

(iii) any ladder forming part of a turn table fire-escape fixed to a vehicle;

(iv) any post office letter box the length of which measured parallel to the axis of the vehicle does not exceed 30 5 centimetres;

(v) any ladder used for loading or unloading from the roof of the vehicle, or any tail or indicator lamp or number plate fixed to a vehicle;

(vi) any spare wheel or spare wheel bracket fitted to a vehicle;

(vii) any towing hook or other fitment which does not project beyond any fitment covered by clauses (iii) to (vi) of this sub-rule.

5. Overall height of motor vehicles.—(1) The overall height of a motor vehicle other than a double-decked motor vehicle measured from the surface on which the motor vehicle rests shall not exceed 3.8 metres.

(2) The overall height of a double-decked motor vehicle shall not exceed 4.75 metres ;

(3) This rule shall not apply to fire-escapes town-wagons and other special purpose vehicles exempted by the general or special order of the registering authority.

6. Overhang of motor vehicles.—(1) The overhang of a tractor shall not exceed 1.85 metres.

(2) The overhang of a motor vehicle other than a tractor shall not exceed sixty per cent of the distance between the plan perpendicular to the axis of the motor vehicle which passes through the centre or centres of the front wheel or wheels and the foremost vertical place from which the overhang is to be measured as defined in sub-rule (3) :

Provided that the State Government may exempt from the provisions of sub-rule any motor vehicle or class of motor vehicles in such area or areas or on such route or routes and subject to such conditions, if any, as may be specified in the order, if it is satisfied that such vehicle or class of vehicles having a overhang in excess of that specified in this sub-rule can be used in a public place without any danger to public safety

Explanation :—For the purposes of this rule, "overhang" means the distance measured horizontally and parallel to the longitudinal axis of the vehicle between two vertical planes at right angles to such axis passing through the two points specified in paragraphs I and II of this definition, respectively.

I. The rearmost point of the vehicle exclusive of—

(i) any hood when down;

(ii) any post office letter-box, the length of which measured parallel to the longitudinal axis of the vehicle, does not exceed thirty centimetres;

(iii) any ladder forming part of a turn-table fire-escape fixed to a vehicle;

(iv) any ladder used when the vehicle is at rest for loading or unloading from the roof of the vehicle, or any tail lamp or number plate fixed to a vehicle;

(v) any spare wheel or spare wheel bracket fitted to a vehicle;

(vi) any luggage carrier fitted to a motor vehicle constructed solely for carriage of passengers and their effects and adapted to carry not more than seven passengers exclusive of the driver;

(vii) any towing hook or other fitment which does not project beyond any fitment mentioned in clauses (ii) to (vi) above:

Provided that, in the case of a stage carriage—

(a) the projection of any bumper or advertisement panel fitted at the rear of the vehicle shall not exceed 15 centimetres; and

(b) the projection in respect of an advertisement panel shall not be such as to obstruct either the vision from the rear view mirror or project through the emergency exit at the rear or both.

II. (i) in the case of a motor vehicle having only two axles, one of which is not a steering axle, the centre point of that axle, or

(ii) In the case of a motor vehicle having only three axles where the front axle is the only steering axle; a point 102 millimetres in rear of the centre of a straight line joining the centre points of the rear and middle axle, or

(iii) In any other case a point situated on the longitudinal axis of the vehicle and such that a line drawn from it at right angles to that axis will pass through the centre of the minimum turning circle of the vehicle

(iv) In the case of any motor vehicle registered in India before the first day of April 1940, it shall suffice if the overhang does not exceed 7/24th of the overall length of the vehicle.

7. Side Overhang of stage carriages :—In the case of vehicle used as a stage carriage, no part of the vehicle other than a direction indicator, when in operation, or a driving mirror shall project laterally more than 355 millimetres beyond the centre line of the rear wheels in the case of single rear wheels or more than 152 millimetres beyond the extreme outer edge of the outer tyres in the case of dual rear wheels.

8. Turning Circle :—Every motor vehicle shall be so constructed as to be capable of turning in either direction in a minimum turning circle not exceeding 24.4 metres in diameter. For the purposes of this rule, such diameter shall be determined by reference to extreme outer edge of the wheel track at ground level.

9. Size and nature of tyres : The following size of tyres shall be fitted to a transport vehicle for carrying the maximum weight shown against each size of tyre together with the ply rating specified by the manufacturer of tyres :

Size of Tyre	Ply rating specified by the manufacturers	Maximum weight permitted to carry
6.00—20	8	850 Kgs.
6.50—20	8	990 Kgs.
7.00—17	8	935 Kgs.
7.00—20	10	1195 Kgs.
7.50—20	10	1400 Kgs.
7.50—20	12	1495 Kgs.
8.25—20	10	1510 Kgs.
8.25—20	12	1690 Kgs.
8.25—20	14	1745 Kgs.
9.00—20	12	2030 Kgs.
9.00—20	14	2185 Kgs.
9.00—20	16	2255 Kgs.
10.00—20	14	2365 Kgs.
10.00—20	16	2535 Kgs.
10.00—24	14	2615 Kgs.
10.50—16	12	2030 Kgs.
10.50—16	16	2370 Kgs.
11.00—20	14	2600 Kgs.
11.00—20	16	2875 Kgs.
11.00—24	14	2840 Kgs.
12.00—20	14	2730 Kgs.
12.00—20	16	2925 Kgs.
12.00—20	18	3250 Kgs.
14.00—20	18	3960 Kgs.
14.00—20	20	4110 Kgs.
14.00—20	22	4990 Kgs.

10. No transport vehicle, other than a light transport vehicle, shall be fitted with less than two tyres on each end of each of the rear axles.

11. Every transport vehicle shall be fitted with tyres which are in good condition and which have not become bold or whose canvass has become visible because of wear and tear.

12. Solid Tyres :—(1) The tyre of each wheel of a vehicle fitted with solid tyres shall be smooth and shall, where the tyre touches the surface of the road or other base whereon the vehicle moves or rests be flat :

Provided that the edges of the tyre may be as rounded to the extend in the case of each edge of not more than 12.5 millimetres :

Provided further that if the tyre is constructed of separate plates, the plates may be separated by parallel spaces which shall be disposed throughout the outer surface of the tyres, so that nowhere shall be aggregate extent of the space or spaces in the course of a straight line drawn horizontally across the circumference of the wheel exceed one-eight part of the width of the tyre.

(2) The width of a solid tyre shall not be less than 76 millimetres in the case of a wheel fitted to a trailer and 127 millimetres in any other case.

(3) In the case of vehicles fitted with worn solid rubber tyre the thickness shall be uniform and not less than shown below :—

Tyre width	Minimum uniform thickness
127 millimetres	22 millimetres
127 millimetres—203 millimetres	25·4 millimetres
203 millimetres and upwards	28.5 millimetres

Provided two tyres are fitted to a rim the width for the purposes of this rule shall be the combined width of the two tyres.

13. Size of wheels :—The diameter of any wheel fitted by a vehicle with solid tyres shall not be less than 60 centimetres.

[F. No. TW/TGM(26)/82)]

GOVINDJEE MISRA Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1982